उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

रिट याचिका (एम0/एस0) संख्या 382 वर्श 2019

निर्णय की तिथिः 07.09.2021

एस. जागीर ऐजुकेषनल सोसायटी.....याचिकाकर्ता

बनाम

सब रजिस्ट्रार, फर्म, सोसायटी एण्ड चिट्स

जिला उधम सिंह नगर.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः
श्री आदित्य सिंह, याचिकर्ता के अधिवक्ता
श्री एन0पी0 शाह, राज्य की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता।
श्री अरविन्द वशिष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री इमरान अली खान सहायक अधिवक्ता प्रतिवादी संख्यां 2 की ओर से।

याचिकाकर्ता सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत पंजीकृत एक सोसायटी है, इसे दिनांक 12.08.2013 को पांच वर्षों के लिये पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता सोसायटी ने पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से पहले पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये एक आवेदन दायर किया, लेकिन संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया गया। इसने याचिकाकर्ता सोसायटी को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या **3442**/2018 योजित करने के लिये मजबूर किया, जिसका निर्णय दिनांक 16.11.2018 को प्रत्यर्थी प्राधिकारी को विधि के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति जारी होने के 6 सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ता सोसायटी के लंबित आवेदन पर निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया

गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 16.01.2019 के आदेश द्वारा सोसायटी का नवीनीकरण इस आधार पर करने से इंकार कर दिया कि सोसायटी की प्रबंधन समिति के पदाधिकारी के सम्बन्ध में विवाद है। प्रतिवादी संख्या 1 ने इंकार करते हुए विवाद को अधिनियम की धारा 25(1) के तहत निर्धारित प्राधिकारी को भी संदर्भित किया। आदेश दिनांकित 16.01.2019 को इस याचिका में परमादेश की मांग करते हुए चुनौती दी गयी है ताकि प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता सोसायटी के पंजीकृरण को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया जा सके।

2. प्रारम्भ में, याचिका अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ दायर की गयी थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 ने पक्षकार बनाने के लिये एक आवेदन दायर किया जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 04.11.2020 को अनुमति दे दी, तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जबावदावे में याचिकाकर्ता सोसायटी के अध्यक्ष के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गयी दिनांक 26.07.2014 की शिकायत का उल्लेख किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ता सोसायटी के मामलों के सम्बन्ध में लंबित विवादों/विभिन्न मुकदमों का विवरण भी दिया। प्रतिवादी संख्या 1 का मामला है कि यह एक ऐसा मामला है जहां सदस्यता के सम्बन्ध में कुछ विवाद हैं। जहां तक पदाधिकारी के चुनाव के सम्बन्ध में विवाद का सवाल है, प्रतिवादी संख्या 1 का मामला है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इसका फैसला किया जा

सकता है, इसलिये अधिनियम की धारा 3(ए)(4) के दृष्टिगत सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है।

4. प्रतिवादी संख्या 2 ने अलग से प्रति शपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पहले दायर की गयी रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2910 वर्ष 2016 (''पहली रिट याचिका'') का संदर्भ दिया गया है जिसका फैसला इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2019 को निम्न आदेश से किया गया–

> ''5. इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता द्वारा लगाये गये विभिन्न आरोपों और याचिकाकर्ता और सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा शुरू की गयी न्यायिक कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियों का जिक्र करते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि याचिकाकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित है, इसलिये वह उसके समक्ष लम्बित इस मुद्दे पर निर्णय नहीं कर सकता है।
>
> 6. तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि बहुत सारे मामले लंबित है, पूरी तरह से गलत निष्कर्ष है। विहित प्राधिकारी के समक्ष विभिन्न मुकदमों का लंबित रहना कोई आधार नहीं है। वर्तमान मामले में उनके पास सीमित क्षेत्राधिकार है, जो यह है कि याचिकाकर्ता का सोसायटी के सचिव के रूप में बने रहना या न बने रहना वैध है या नहीं।''

5. प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार, नवीनीकरण के लिये याचिकाकर्ता सोसयटी के आवेदन को निष्कर्ष दर्ज करने के बाद सही खारिज किया गया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. याचिकाकर्ता सोसायटी के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता सोसायटी अधिनियम लागू होने के बाद पंजीकृत हुई थी। पंजीकरण अधिनियम की धारा 3 के तहत किया गया था। नवीनीकरण अधिनियम की धारा 3 (ए) के तहत किया जाना है और प्रतिवादी संख्या 1 के पास नवीनीकरण को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता सोसायटी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यदि अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत कोई सोसायटी पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग करती है और नवीनीकरण के लिये आवेदन सही है, तो प्रतिवादी संख्या 1 के पास सोसायटी के पंजीकरण को नवीनीकृत करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

8. याचिकाकर्ता सोसायटी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने के लिये अधिनियम की धारा 3(ए)(2) के प्रावधान और उसके परंतुक का हवाला दिया कि, वास्तव में इनकार करने या अन्यथा का प्रश्न तभी सामने आयेगा जब कोई सोसायटी अधिनियम लागू होने से पहले पंजीकृत हुई हो। अधिनियम की धारा 3(2) के अनुपालन का प्रश्न विवादास्पद है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उसे भी ऐसी सोसायटी को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही फैसला निर्णीत किया जा सकता है।

9. यह भी तर्क दिया गया कि ऐसे अन्य प्रावधान हैं जिनके द्वारा अधिनियम की धारा 12(डी) और 13(ए) के तहत अधिकारी सोसायटी के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि प्रबंधन समिति की सदस्यता या पदाधिकारी के सम्बन्ध में कोई विवाद है, तो प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता सोसायटी के पंजीकरण को नवीनीकृत कर सकता था और उसके बाद अधिनियम की धारा 25 के तहत मामले को संदर्भित कर सकता था। परन्तु ऐसा नहीं किया इसलिये यह तर्क दिया गया है कि याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधिनियम की योजना के तहत किसी सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण स्वचालित नहीं है। पंजीकरण को नवीनीकृत करने या ऐसे नवीनीकरण के लिये आवेदन पर विचार करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ कार्यवाही की जानी आवश्यक है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपना तर्क देने के लिये अधिनियम के प्रावधान 3(ए)(4) का उल्लेख किया गया कि सोसायटी के नवीनीकरण के लिये आवेदन के साथ निर्वाचित प्रबंध निकाय के सदस्यों की सूची भी दाखिल करना आवश्यक है। इन बिंदुओं पर बहस करने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क देने के लिये अधिनियम की धारा 3(बी) का उल्लेख किया गया कि यदि कोई विवाद है, तो मामला राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए और इस पर सब रजिस्ट्रार द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है।

11. अधिनियम की धारा 3(बी) के लागू होने का उत्तर देते हुए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 3(बी) का प्रावधान लागू नहीं होता। उनका कहना था कि अधिनियम की धारा 3(बी) का प्रावधान केवल किसी सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण के मामले में लागू होगा, जो अधिनियम के लागू होने से पहले पंजीकृत हुई हों। उनके द्वारा अधिनियम की धारा 3(ए)(2) के प्रावधान का संदर्भ दिया गया और तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधिनियम के लागू होने से पहले पंजीकृत सोसायटी के नवीनीकरण के मामलों में अधिनियम की धारा 3(2) का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए और यदि कोई विवाद हो तो ऐसे मामलों में ही मामले को अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत संदर्भित किया जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि दूसरी घटना किसी सोसायटी के पंजीकरण के मामलों में होगी जब प्रश्न अधिनियम की धारा 3(2) के प्रावधान के अनुपालन के सम्बन्ध में है और किसी अन्य मामले में नहीं।

12. याचिकाकर्ता सोसायटी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में विधि के सिद्धांतों पर बल दिया गया जैसा कि मुजफ्फर हुसैन और अन्य बनाम सहायक रजिस्ट्रार, फर्म सोसायटी एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश मेरठ क्षेत्र, मेरठ एवं अन्य 1987 इलाहाबाद, एल0जे0 728 और श्रीमती गुजराती देवी सिंघल महिला विद्यालय एवं अन्य बनाम गोरखपुर डिवीजन, गोरखपुर व अन्य 1996 27 ए0एल0आर 277 के मामलों में निर्धारित किया गया था।

13. मुजफ्फर हुसैन और अन्य (सुप्रा) के मामले में एक सोसायटी के पंजीकरण के आदेश को माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ता सोसायटी की ओर से कुछ प्रस्तर का हवाला दिया गया। मुजफ्फर हुसैन और अन्य (सुप्रा) में पारित किये गये निर्णय के पैरा संख्या 14 और 17 निम्नवत है–

> 14. अधिनियम की धारा 3–ए(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नवीनीकरण के मामले में भी आवेदक को अधिनियम की धारा 3(2) के प्रावधानों को पूरा करना होगा। जहां प्रमाणपत्र के लिये दिनांक 10.10.1975 को या उसके बाद पहली बार आवेदन किया गया। रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रावधानों में संतुष्टि के शिवाय इसे प्रदान नहीं करेगा, यदि प्रमाण पत्र इस तिथि से पहले जारी किया था, तो इसे तब तक नवीनीकृत नहीं किया जायेगा जब तक कि यह अधिनियम की धारा 3(2) के दायरे में नहीं आता है। ''
>
> ''17. इन सिद्धांतों के आलोक में विचार करने पर अधिनियम की धारा 3बी वास्तव में पूर्ववर्ती धारा 3 और 3ए में अधिनियमित प्रावधानों का एक प्रावधान है। पंजीकरण या इसके नवीनीकरण के लिये आवेदन का निपटारा आमतौर पर रजिस्ट्रार द्वारा अपने स्तर पर किया जाना है लेकिन जहां इस आधार पर मुद्दा उठाया जाता है कि प्रस्ताव अधिनियम की धारा 1 और 20 के दायरे से बाहर जाता है तब निर्णय राज्य सरकार का होगा। न्यायालय राज्य सरकार को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलने से पहले ही

अपनी राय के आधार पर निर्णय देकर उसे छूट नहीं दे सकता है।''

14. न्यायालय केवल इस स्तर पर मुजफ्फर हुसैन (सुप्रा) के मामले में जो कहा है उसे उद्धृत करना चाहेगा , जो इस प्रकार है–

''23. अधिनियम की धारा 3–बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार को धारा 3(2)(सी) के संदर्भ में अपनी राय व्यक्त करनी होगाी।

15. श्रीमती गुजराती देवी सिंघल महिला विद्यालय (सुप्रा) के निर्णीत मामले में यह तर्क देने के लिये संदर्भित किया गया है कि वास्तव में यदि किसी सोसायटी के नवीनीकरण के समय शासी निकाय या किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता के संबंध में कोई विवाद है, तो ऐसे मामले का निर्णय इसके तहत किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 4 और ऐसे मामलों में, धारा 3बी के तहत सदंर्भ की अनुमति नहीं है। वास्तव में, निर्णय के पैराग्राफ् 7 को दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बड़े पैमाने पर पढ़ा गया है, जो इस प्रकार है–

''7. अधिनियम की धारा 3–बी, जिसके तहत रजिस्ट्रार को मामले को राज्य सरकार को संदर्भित करने की आवश्यकता होती है, को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है–

''3–बी राज्य सरकार को संदर्भण– यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या सोसायटी धारा 3 के अनुसार खुद को पंजीकृत कराने या धारा 3–ए के अनुसार अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को नवीनीकृत कराने का हकदार है, तो मामले को राज्य सरकार को संदर्भित किया

जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा''।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई सोसायटी धारा 3–ए के अनुसान अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत कराने की हकदार है, तो रजिस्ट्रार को इसे राज्य सरकार के पास भेजना होगा। इस न्यायालय की खण्डपीठ ने मुजफ्फर हुसैन बनाम सहायक रजिस्ट्रार में निर्धारित किया है कि धारा 3–बी वास्तव में धारा 3 और 3–ए का प्रावधान है और इसलिये, जब नवीनीकरण के लिये किसी आवेदन का विरोध होता है जो प्रथम दृष्टया तुच्छ या परेशान करने वाला नहीं है तो रजिस्ट्रार को ऐसा करना होगा कि मामले को राज्य सरकार के पास भेजे और वह स्वयं इस पर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र नहीं हैं लेकिन धारा 3बी के तहत जिस चीज का उल्लेख करना जरूरी है वह है सोसायटी को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराने का अधिकार। यह धारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति के अधिकार या लोकस स्टैंड से संबंधित विवाद को आच्छादित नहीं करती है और इसलिये, ऐसे दावे या अधिकार के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को कोई संदर्भ नहीं दिया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति, इसी कारण से उक्त प्रावधान के तहत संदर्भ के लिये आवेदन नहीं कर सकता है लेकिन यह सवाल कि क्या सोसायटी पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन उचित व्यक्ति द्वारा किया गया है? धारा 3–ए के तहत रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं जांच और निर्णय लिया जाना चाहिए। धारा 3–ए के तहत सोसायटी के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण देने की शक्ति में ऐसे प्रश्न पर विचार करने और निर्णय लेने की शक्ति शामिल है। रजिस्ट्रार ऐसे

प्रश्न का निर्णय ऐसी शक्ति नवीनीकरण प्रदान करने की मुख्य शक्ति के लिये आकस्मिक है, अभिलेखों, जैसे शासी निकाय के सदस्यों की सूची और सोसायटी के नियमों/उपनियमों के आधार पर कर सकता है जिन्हें उसे अधिनियम की धारा 4 के तहत व्यवस्थित रखना होता है। इस सम्बन्ध में प्रबंधन समिति बनाम सहायक रजिस्ट्रार का संदर्भ दिया जा सकता है जिसमें डिवीजन बैंच ने यह निर्धारित किया है कि यदि शासी निकाय या किसी व्यक्ति की सदस्यता के बारे में कोई आपत्ति उठाई जाती है तो उस पर निर्णय लेना रजिस्ट्रार का कर्तव्य है। अधिनियम की धारा 4 के तहत उक्त विवाद या संदेह को विहित प्राधिकारी को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। इस न्यायालय ने धारा 4 से ही ऐसी शक्ति का मान लिया जो यह प्रावधान करती है कि सोसायटी के प्रबंध निकाय के सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार के पास दाखिल करनी होगी। लेकिन ऐसे प्रश्न पर निर्णय लेते समय रजिस्ट्रार से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह सोसायटी के पदाधिकारियों के चुनाव या पद पर बने रहने के संबंध में विवाद का निर्णय करेगा। यदि और जब सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पर विचार के समय उसके सामने ऐसा कोई विवाद उठाया जाता है तो उसके पास निर्णय किये बिना प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने का विकल्प होता है, जिसे वह निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित कर सकता है।

16. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क था कि विधि के सिद्धांत, जैसा कि मुजफ्फर हुसैन (सुप्रा) के मामले में निर्धारित किया गया था। एक ऐसे मामले में निर्धारित किये गये थे जहां मामला एक सोसायटी का पंजीकरण था। यह तर्क दिया गया

कि मौजूदा मामले में, विवाद किसी सोसायटी के पंजीकरण के संबंध में नहीं है, बल्कि यह एक सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण का हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मुजफ्फर हुसैन (सुप्रा) के मामले के निर्णय के पैराग्राफ् 17 और 25 का तर्क दिया पैराग्राफ् 17 को पूर्व में ही उल्लिखित किया जा चुका है। निर्णय के पैराग्राफ 25 में माननीय न्यायालय ने पंजीकरण को रद्द करते हुए राहत के सम्बन्ध में इस निर्देश के साथ आदेश पारित था किया कि मामले को अधिनियम की धारा 3बी के तहत संदर्भित किया जाए।

17. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि कानून के सिद्धांत को श्रीमती गुजराती देवी सिंघल महिला विद्यालय (सुप्रा) के मामले से उद्गत किया गया है। यह है कि यदि नवीनीकरण चाहने वाले व्यक्तियों की पात्रता के सम्बन्ध में कोई विवाद है तो अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्णय लिया जा सकता है और किसी अन्य मामले में अधिनियम की धारा 3बी के तहत मामले को संदर्भित किया जाना चाहिए।

18. इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया कि आक्षेपित आदेश भी कुछ तथ्यों पर आधारित है, जो याचिकाकर्ता सोसायटी के उद्देश्य और कार्यप्रणाली को स्पष्ट करना है। आक्षेपित आदेश में की गयी विभिन्न टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया।

19. इससे पहले कि न्यायालय प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरण की सराहना करे, अधिनियम के कुछ प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा जिनका उल्लेख उभयपक्षों के अधिवक्ता ने अपने तर्क में किया है।

अधिनियम की धारा 3 पंजीकरण और शुल्क के संबंध में प्रावधान करती है। तात्कालिक मामले की दृश्टि से अधिनियम की धारा 3(2) महत्वपूर्ण है। यह इस प्रकार है,

''3. (2) उपधारा (1) में किसी भी बात के बावजूद, रजिस्टार किसी सोसायटी को पंजीकृत करने से इंकार कर देगा, यदि इस प्रकार के इनकार के खिलाफ कारण बताने का अवसर देने के बाद, वह संतुश्ट है कि

(ए) सोसायटी का नाम इस अधिनियम के तहत पहले से पंजीकृत किसी अन्य सोसायटी के समान है

(बी) पंजीकृत होने वाली सोसायटी के नाम में '' संघ'', '' राज्य'', '' भूमि बंधक'' , ''भूमि विकास'' जैसे किसी भी शब्द का उपयोग किया गया है। ''सहकारिता'', ''गांधी'', ''रिजर्व बैंक'' या मंजूरी को व्यक्त करने वाले या लागू करने वाले कोई भी शब्द,

(सी) पंजीकृत की जाने वाली सोसायटी की कोई भी एक या अधिक वस्तुएं धारा 1 और 20 में उल्लिखित वस्तु नहीं है, या

(डी) इसके उद्देश्य वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के विपरीत है

बशर्ते कि राज्य सरकार, असाधारण परिस्थितियों में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी भी सोसायटी को अपने नाम में ''संघ'' शब्द या ''गांधी'' शब्द का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, और उसके बाद, अपने नाम में उस शब्द का उपयोग कर सकती है। सोसायटी के नाम में ऐसे किसी शब्द का उपयोग ऐसी सोसायटी के पंजीकरण प्रमाणपत्र को

पंजीकृत करने या नवीनीकृत करने से इनकार करने का आधार नहीं होगी''।

20. अधिनियम की धारा 3(ए)पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण से संबंधित है। बहस के दौरान इस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। यह इस प्रकार है

''3ए. पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण.–(1) धारा(2) के प्रावधान के अधीन, धारा 3 के तहत जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए लागू रहेगा

बशर्ते कि सोसायटी पंजीकरण (उत्तर प्रदेश संसोधन) अधिनियम, 1984 (इसके बाद इस धारा में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रारंभ होने से पहले जारी किया गया प्रमाणपत्र, करने के पश्चात् ऐसे प्रारंभ की तारीख से पांच वर्श की अवधि तक लागू रहेगा। उप–धारा (3) के तहत निर्दिष्ट शुल्क और पहले से भुगतान किए गए शुल्क के अंतर का भुगतान।

(2) धारा 3 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी, चाहे उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, उप–धारा(1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन करने पर और भुगतान पर उप–धारा (3) में निर्दिश्ट शुल्क का, एक बार में पांच वर्षों के लिए अपने पजंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत कराने का हकदार हो।

बशर्ते कि अधिनियम के प्रारंभ से पहले पंजीकृत सोसायटी के मामले में, रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीनीकृत करने

से इंकार कर देगा, यदि इस तरह के इनकार के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर देने के बाद, वह संतुष्ट है कि इसमें उल्लिखित किसी भी आधार पर धारा 3 की उपधारा(2) उसके संबंध में मौजूद है(3) पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवदेन के साथ रजिस्ट्रार को भुगतान किया जाएगा–

(ए) धारा3 के तहत देय पंजीकरण शुल्क के बराबर शुल्क या दो सौा रूपये, जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन उप–धारा(2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर किया जाता है,

बशर्ते कि राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस खंड के तहत देश शुल्क को समय–समय पर इसा शर्त के अधीन बढ़ा सकती है कि इस प्रकार बढ़ी हुई फीस धारा 3 के तहत देय पंजीकरण शुल्क से अधिक नहीं होगी

(बी) चालीस रुपये का अतिरिक्त शुल्क या ऐसा उच्च शुल्क जो खंड (ए) के तहत देय शुल्क के पांचवें किस्से से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, यदि ऐसा आवेदन समाप्ति की तारीख के एम महीने के भीतर दायर किया जाता है। उपधारा(2) में निर्दिष्ट अवधि और (सी) बीस रुपये प्रति माह या उसके हिस्से की दर से अतिरिक्त शुल्क, या प्रति माह ऐसा उच्च अतिरक्त शुल जो खंड (बी) के तहत देय अतिरिक्त शुल्क के आधे से अधिक न हो, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता

है, यदि ऐसा आवेदन उप–धारा(2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक महीने के बाद दायर किया जाता है।

4. प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ सोसायटी के पंजीकरण के बाद या पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के बाद चुने गए प्रबंध निकाय के सदस्यों की एक सूची और नवीनीकरण के लिए मांगे जाने वाले प्रमाण पत्र भी शामिल होंगे जब तक कि ऐसा करने से छूट न दे। इसके नुकसान या विनाश या अन्य पर्याप्त कारण के आधार पर रजिस्ट्रार।''

(5) एक सोसायटी जो इस धारा के अनुसार अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को उस अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर नवीनीकृत कराने में विफल रहती है जिसके लिए प्रमाण पत्र लागू था, एक अपंजीकृत सोसायटी बन जाएगी

बशर्ते कि रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारण के लिए, उस अवधि की समाप्ति के बाद एक वर्श से अधिक समय के लिए नवीनीकरण के लिए आवेदन की अनुमति दे सकता है जिसके लिए प्रमाण पत्र चार सौ रुपये की फीस या ऐसी उच्च फीस के भुगतान पर दस गुना से अधिक नहीं था। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित उप–धारा (3) के खंड (बी) के तहत देय अतिरिक्त शुल्क।

6. पंजीकृत का प्रमाण पत्र उपधारा (2) या उपधारा (5) के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है, ऐसा नवीनीकरण इस अवधि की समाप्ति की तारीख से लागू होगा जिसके लिए प्रमाण पत्र लागू था।

21. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से मुख्य तर्क वर्तमान मामले में धारा 3 (बी) की प्रयोज्यता के संबंध में है। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि वह उन तर्कों को अपनाता है, जो प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं।

22. केवल इस स्तर पर यह न्यायालय अधिनियम की धारा 25 का उल्लेख करेगा, जिसके तहत, आक्षेपित आदेश , द्वारा संदर्भ दिया गया था। अधिनियम की धारा 25 इस प्रकार है

> ''25, पदाधिकारियों के चुनाव के संबंध में विवाद–(1) निर्धारित प्राधिकारी, रजिस्ट्रार या उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सोसायटी के क्रम से एक–चौथाई सदस्यों द्वारा किए गए संदर्भ पर सुनवाई और निर्णय ले सकता है संक्षेप में ऐसी सोसायटी के किसी पदाधिकारी के चुनाव या पद पर बने रहने के संबंध में कोई संदेह या विवाद, और उसके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे
>
> बशर्ते कि किसी पदाधिकारी का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा जहां निर्धारित प्राधिकारी संतुष्ट है–
>
> (ए) कि ऐसे पदाधिकारी द्वारा कोई भ्रश्ट आचरण किया गया है,या (बी) कि किसी भी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है या
>
> (सी) जहां तक ऐसे पदाधिकारी का संबंध है, चुनाव का परिणाम किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति या किसी वोट के अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृत या किसी वोट के स्वागत से भौतिम रूप से प्रभावित हुआ है। शून्य या सोसायटी के किसी भी नियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने से।

स्पष्टीकरण I- एक व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करने वाला माना जाएगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, से स्वयं या किसी अन्य द्वारा–

(i) धोखा–धड़ी, अंतराष्ट्रीय गलत बयानी, जबरदस्ती या चोट की धमकी के द्वारा किसी भी मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने या न देने के लिये प्रेरित करता है या प्रेरित करने का प्रयास करता है, या किसी व्यक्ति को वोट देने या न देने के लिये प्रेरित करता है, या चुनाव में उम्मीदवार बनने से पीछे हटना या न हटना,

(ii) किसी निर्वाचक को किसी अभ्यर्थी के पक्ष में वोट देने या न देने के लिये प्रेरित करना, या किसी व्यक्ति को अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न खड़े होने के लिये प्रेरित करना, या अभ्यर्थी बनने से पीछे हटने या न हटने के लिये प्रेरित करना। चुनाव, कोई धन, या मूल्यवान प्रतिफल, या कोई स्थान या रोजगार प्रदान करना है या देता है, या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ या लाभ का वादा करता है,

(iii) खंड (i) व खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने के लिये उकसाना (भारतीय दण्ड संहिता के अर्थ के अन्तर्गत),

(iv) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास दिलाने के लिये प्रेरित करना या प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह यह कोई भी व्यक्ति, जिसमें वह रूचि रखता है, दैवीय

नाराजगी या आध्यात्मिक निंदा का पात्र बना जायेगा या बना दिया जायेगा,

(v) जाती, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधार पर प्रचार करना,

(vi) ऐसा अन्य आचरण करता है जिसे राज्य सरकार भ्रष्ट आचरण के रूप में निर्धारित कर सकती है।

स्पष्टीकरण II– किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ या लाभ के वादे में स्वयं में उस व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ का वादा शामिल होता है जिसमें वह रूचि रखता है।

स्पष्टीकरण III– राज्य सरकार ऐसे चुनाव के सम्बन्ध में संदेह या विवादों की सुनवाई और निर्णय के लिये प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है और ऐसे चुनावों से सम्बन्धित किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में प्रावधान कर सकती है जिसके लिये इस अधिनियम या नियमों अपर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं। सोसायटी।

(2) जहां उप–धारा (1) के तहत दिए गए आदेश द्वारा, किसी चुनाव को रद्ध कर दिया जाता है या किसी पदाधिकारी को पद पर बने रहने का हकदार नहीं माना जाता है या जहां रजिस्टर इस बात से संतुष्ट है कि किसी के पदाधिकारीयों का कोई चुनाव यदि किसी सोसाइटी की बैठक उस सोसाइटी के नियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं हुई है, तो वह ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों के चुनाव के लिए ऐसी सोसाइटी की सामान्य सभा की बैठक बुला सकता है और ऐसी बैठक

की अध्यक्षता और संचालन उसके द्वारा, और बैठकों और चुनावों से संबंधित सोसाइटी के नियमों में प्रावधान आवश्यक संसोधनों के साथ ऐसी बैठकों और चुनावों पर लागू होगें।

(3) जहां उपधारा (2) के तहत रजिस्ट्रार द्वारा एक बैठक बुलायी जाती है, वहां किसी अन्य प्राधिकारी या सोसायटी के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव के उद्देश्य से कोई अन्य बैठक नहीं बुलायी जायेगी।

स्पष्टीकरण–. इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्ति ''निर्धारित प्राधिकारी का अर्थ आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत एक अधिकारी या न्यायालय है''।

23. पहली रिट याचिका का भी संदर्भ दिया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर की गयी थी। वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 2 की शिकायत पर, मामले की जांच की गयी और अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी ने दिनांक 16.06.2006 को इस टिप्पणी के साथ एक आदेश पारित किया कि सदस्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, जिसका अधिनियम की धारा 25 के अनतर्गत निर्णय किया जा सकता है। अधिनियम की जांच धारा 24 के तहत पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोई भी आवश्यक कार्यवाही अधिनियम की तहत उप पंजीकरण के तहत की जा सकती है। दिनांक 28.09.2015 को जब मामला उप रजिस्ट्रार के पास पहुंचा तो उन्होंने इस आधार पर विवाद का फेसला नहीं किया कि कई विवाद लम्बित हैं। दिनांक 28.09.2015 और 16.06.2016 के इन दोनों आदेशों को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वर्ष

2016 के डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 2910 में चुनौती दी गयी थी और जैसा कि उद्धृत किया गया है, इस न्यायालय ने पाया कि प्राधिकरण द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से गलत निष्कर्ष है। पैराग्राफ संख्या 6 में टिप्पणीयां पहली रिट याचिका में की गयी थी, जिन्हें पहले पूर्व में ही उद्धृत किया जा चुका है।

24. माना कि याचिकाकर्ता सोसायटी के प्रबन्धन में प्रतिवादी संख्या 2 के बने रहने के सम्बन्ध में विवाद है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि पहली रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 05.12.2019 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गयी है। इसका मतलब है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर की गयी शिकायत अभी भी लम्बित है, और यह वर्ष 2015 से लम्बित थी। दिनांक 29.09.2015 के आक्षेपित आदेशों में से एक, जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, पहली रिट याचिका के अभिलेख में उपलब्ध है (अभिलेख न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है), जिससे पता चलता है कि वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 2 ने आरोप लगाया था कि उसके जाली हस्ताक्षर करके, उसे याचिकाकर्ता सोसायटी से निष्काषित कर दिया गया था।

25. पंजीकरण की समाप्ति से पहले, याचिकाकर्ता सोसायटी ने सक्षम प्राधिकारी से सम्पर्क किया था और जैसा कि उपर वर्णित किया गया है जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, विवादित आदेश पारित किया गया गया है। पंजीकरण की प्रारभिक अवधि समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता सोसायटी की स्थिति क्या होगी? जब सवाल किया गया,तो प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि यह

अपंजीकृत सोसायटी बनी हुई है। लेकिन, फिर सवाल यह है कि यदि यह अपंजीकृत सोसायटी बनी हुई है, तो प्रतिवादी नंबर 1 अधिनियम की धारा 25 के तहत मामले को कैसे संदर्भित कर सकता है क्योंकि धारा 25 के तहत, एक संदर्भ रजिस्ट्रार द्वारा या पंजीकृत सोसायटी के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है। यदि प्रतिवादी संख्या 2 के अनुसार यह अपंजीकृत सोसायटी है जो पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो ऐसा संदर्भ कैसे दिया जा सकता है? न्यायालय इस पहलू पर आगे विचार नहीं करना चाहता है।

26. पंजीकरण के संबंध में अधिनियम की योजना धारा 3 के अंतर्गत है। इसकी उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देने के बाद पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है। अधिनियम की उपधारा 2 से धारा 3 के अंतर्गत वे परिस्थितियॉ भी दी गई हैं जिनके अंतर्गत इन्कार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 3 (**2**) का प्रावधान महत्वपूर्ण है, जो राज्य सरकार को मामले पर निर्णय लेने का कुछ अधिकार देता है।

27. अधिनियम की धारा 3(ए) नवीनीकरण से संबंधित है। यह सच है कि अधिनियम की धारा 3(ए)(4) के तहत यह प्रावधान है कि प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ सदस्यों की सूची संलग्न की जाएगी। लेकिन यदि सदस्यों की सूची दाखिल नहीं की गई है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मामला धारा 3(बी) के तहत राज्य सरकार को भेजा जाएगा? या नवीनीकरण चाहने वाले व्यक्ति का सदस्यों की सूची जमा करने की आवश्यकता होगी। एक और स्थिति यह हो सकती है कि सूची स्वयं विवादित हो सकती है,

लेकिन फिर भी इस स्थिति में, मामले को धारा 3(बी) के तहत संदर्भित किया जाएगा? या रजिस्ट्रार स्वयं अधिनियम की धारा 4 के तहत मामले का फैसला करेगा वह स्थिति जब अधिनियम की धारा3(बी) के तहत, संदर्भ राज्य सरकार को दिया जा सकता है। यह एक छोटा सा प्रश्न है और इससे संबंधित है कि क्या आक्षेपित आदेश विधिसम्मत है या नहीं?

28. अधिनियम की धारा 3(बी), जैसा कि पूर्व में उद्धृत किया गया है, केवल उन मामलों में लागू होती है जब सवाल उठता है कि क्या कोई सोसायटी खुद को पंजीकृत कराने की हकदार है। सदस्यता का विवाद किसी सोसायटी को खुद को पंजीकृत कराने की पात्रता से कुछ अलग है। जैसा कि कहा गया है, किसी सोसायटी को पंजीकृत करने से इनकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत किया जा सकता है। मुजफफर हुसैन और अन्य(सुप्रा) के मामले में, हालांकि मामला एक सोसायटी के पंजीकरण के संबंध में था, लेकिन, इसके पैराग्राफ 23 में, माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का कानून निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 3–बी के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करने में राज्यसरकार को धारा 3(2)(सी) के संदर्भ में अपनी राय वयक्त करनी होगी। धारा 3 का प्रावधान (2)(सी) तभी लागू होगा जब कोई सोसायटी पंजीकृत हो या केवल तब जब किसी सोसायटी द्वारा नवीनीकरण की मांग की गई हो जो अधिनियम के लागू होने से पहले पंजीकृत थी। परन्तु यह एक ऐसा मामला नहीं है।

29. वर्तमान मामले में, याचिकर्ता सोसायटी अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद पंजीकृत की गई थी। श्रीमती गुजराती देवी सिंघल

महिला विद्यालय (सुप्रा) के मामले में माननीय न्यायालय ने दो पहलुओं पर विचार किया, अर्थात (1) उस व्यक्ति की पात्रता के बारे में जो सोसायटी का नवीनीकरण चाहता है और(2) यदि सदस्यता के बारे में कोई आपत्ति है तो क्या होगा। मौजूदा मामले में, आक्षेपित आदेश द्वारा प्रबंधन निकाय में सदस्यता के विवाद के आधार पर नवीनीकरण से इंकार कर दिया गया है। यह विवाद नहीं है कि जो व्यक्ति नवीनीकरण चाह रहा था वह ऐसा आवेदन दायर करने का हकदार नहीं था। श्रीमती गुजराती देवी सिंघल महिला विद्यालय (सुपरा), के मामलें में, माननीय न्यायालय ने प्रबंधन समिति बनाम सहायक रजिस्ट्रार के फैसले का उल्लेख किया और उस मामले में यह माना गया था कि ''यदि शासी निकाय या किसी व्यक्ति की सदस्यता के बारे में कोई आपत्ति उठाई जाती है, तो धारा 4 के तहत इस पर निर्णय लेना रजिस्ट्रार का कर्तव्य है। उक्त विवाद या संदेह को निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित करना आवश्यक नहीं है। यहां प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी होने के बारे में विवाद उठाया गया है।

30. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रबंधन समिति, गजरौला सिंह सभा, गजरौला बनाम सहायक रजिस्ट्रार तथा सहायक रजिस्ट्रार, फर्म सोसायटी और चिट्स और अन्य, 2010 3 एडब्लयूसी 3033 का संदर्भ यह तर्क देने के लिए दिया गया है कि अधिनियम की योजना के तहत, अधिनियम की धारा 3(बी) के तहत संदर्भ दिया जा सकता है, कानून का यह प्रस्ताव विवाद में नहीं है। एक मात्र विवाद यह है कि किन मामलों में ऐसा संदर्भ दिया जाना चाहिए।

31. इतना ही नहीं, लियाकत मार्क्विस खान बनाम क्राइस्ट चर्च कॉलेज सोसायटी काफलेज, कानपुर एवं अन्य MANU UP 0915,2010, के मामले में एक शिकायत पर सोसायटी का नवीनीकरण रद्द कर दिया गया था। अधिनियम की धारा 3(बी) और 4(ए) के दायरे पर व्यापक रूप से चर्चा की गई और निर्णय के प्रस्तर 12 में, माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की–

> ''12 हमारी राय में, अधिनियम की धारा 3(बी) तब लागू होती है, जब कोई सोसायटी पंजीकरण के लिए आवेदन करती है। नवीनीकरण का प्रावधान अधिनियम की धारा 3–ए में निहित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सोसायटी को कब विचार करके पंजीकृत किया गया था इसका आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया था। धारा 3–बी वास्तव में लागू नहीं होगा, क्योंकि नवीनीकरण से केवल उन आधारों पर इनकार किया जा सकता है जिन पर पंजीकरण का आदेश नहीं दिया जा सकता था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सोसायटी पंजीकृत थी। दूसरे शब्दों में, विषय–वस्तु अधिनियम के दायरे में थी। इस बात पर कोई विवाद नहीं उठाया गया है कि कथित संशोधन द्वारा उद्देश्यों को बदल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सोसायटी पंजीकृत होने की हकदार नहीं होगी। एक बार ऐसा होने पर, राज्य सरकार को संदर्भित करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा कोई विवाद नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा3–बी के अर्थ में संदर्भित किया जा सके। इसके आलोक में, विवादित आदेश रद्द किये जाने योग्य है।''

32. याचिकाकर्ता सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत थी। इसका मतलब है कि इसने अधिनियम की धारा 3 के तहत अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। यह ऐसा मामला नहीं था, जिस पर तब अधिनियम की धारा 3(2) का प्रावधान लागू हुआ था। नवीनीकरण की मांग की गई थी। वास्तव में, इससे पहले, प्रतिवादी संख्या 2 की याचिकाकर्ता सोसायटी के प्रबंधन निकाय में सदस्यता के बीच पहले से ही विवाद मौजूद था। न्यायालय में पहली रिट याचिका पहले ही दायर की जा चुकी थी, जब नवीनीकरण आवेदन पर आदेश पारित किया गया, तो इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि प्रबंधन निकाय की सदस्यता के संबंध में विवाद है। लेकिन, फिर, यह अधिनियम की धारा 3(2) के प्रावधान को भी आकृष्ट नहीं करता है। श्रीमती गुजराती देवी सिंघल महिला विद्यालय (सुपरा), के दृष्टिगत ऐसे विवाद का निर्णय धारा 4 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया जा सकता था और फिर भी, यदि कोई विवाद था, तो इसे अधिनियम की धारा 25 के तहत संदर्भित किया जा सकता था, लेकिन इस आधार पर नवीनीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता था। यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता सोसायटी के पंजीकृत होने या उसके पंजीकरण का नवीनीकरण कराने के अधिकार के संबंध में कोई विवाद है। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर अधिनियम की धारा 3(बी) के प्रावधान लागू हो सकते हों। तदनुसार, इस न्यायालय का मानना है कि आक्षेपित आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और रिट याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।

33. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

34. आक्षेपित आदेश दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी नंबर 1 को एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता सोसायटी के पंजीकरण को नवीनीकृत करने का निर्देश दिया जाता है। यदि प्रतिवादी नंबर 1 इसे आवश्यक समझता है, तो वह अधिनियम की धारा 25 के तहत विवाद को संदर्भित करने के लिए स्वतंत्र है।

(रविन्द्र मैठाणी, जे.)
07.09.2021